

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

अतिरिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय हेतु ₹ 380.00 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,80,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 2

आंगनबाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के विद्युत व्यय एवं आकस्मिक व्यय मद में
₹ 114.00 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,14,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 3

बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत परियोजना कार्यालय एवं जिला कार्यालय हेतु फर्नीचर
उपकरण इत्यादि हेतु ₹ 60.80 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 60,80,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 4

बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु फर्नीचर
उपकरण इत्यादि हेतु ₹ 323.00 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,23,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 5

नोनी सुरक्षा योजनांतर्गत वैयक्तिक अनुदान मद में ₹ 1240.00 लाख का व्यय संभावित
है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 12,40,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मुख्य शीर्ष 2236

मद क्रमांक 6

सबला योजना के अनुरूप प्रदेश के शेष 17 जिलों में किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण
आहार दिये जाने हेतु ₹ 1140.00 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 11,40,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मुख्य शीर्ष 4235

मद क्रमांक 7

बाल विकास सेवा योजनांतर्गत 789 आंगनबाड़ी भवनों के सुधार एवं निर्माण हेतु (प्रति
आंगनबाड़ी केन्द्र ₹ 4.50 लाख के मान से) ₹ 3551.00 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 35,51,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 8

बाल विकास परियोजना कार्यालय हेतु ₹ 80.00 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 80,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मांग संख्या 48
मुख्य शीर्ष 4235

मद क्रमांक 12

राज्य के सभी जिलों में वर्ष 2014-15 में 833 आंगनबाड़ी केन्द्रों में निर्माण (राशि ₹ 4.50 लाख की दर से) हेतु राशि ₹ 3750.00 लाख व्यय संभावित है। आंगनबाड़ी केन्द्रों की जिलेवार संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.	जिले का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या			योग-
		सामान्य क्षेत्र	अनुसूचित जनजाति क्षेत्र	अनुसूचित जाति क्षेत्र	
1	बालोद	12	5	0	17
2	बलौदाबाजार	17	0	22	39
3	बलरामपुर	16	21	0	37
4	बस्तर	24	31	0	55
5	बेमेतरा	8	0	4	12
6	बीजापुर	16	22	0	38
7	बिलासपुर	34	8	22	64
8	दंतेवाड़ा	11	16	0	27
9	धमतरी	0	0	0	0
10	दुर्ग	18	0	0	18
11	गरियाबंद	12	5	0	17
12	जांजगीर	10	0	7	17
13	जशपुर	20	28	0	48
14	कांकेर	15	22	0	37
15	कवर्धा	9	0	2	11
16	कोण्डागांव	16	21	0	37
17	कोरबा	17	21	0	38
18	कोरिया	12	13	0	25
19	महासमुंद	5	0	1	6
20	मुंगेली	14	0	33	47
21	नारायणपुर	4	6	0	10
22	रायगढ़	24	17	2	443
23	रायपुर	25	0	7	32
24	राजनांदगांव	21	4	0	25
25	सरगुजा	21	27	0	48
26	सुकमा	13	18	0	31
27	सूरजपुर	23	31	0	54
योग-		417	316	100	833

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 37,50,00,000 का बजट प्रावधान किया गया है।

मांग संख्या 55
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

अतिरिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय हेतु ₹ 500.00 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 2 से 12

मल्टी सेक्टरल न्यूट्रीशन प्रोग्राम के क्रियान्वयन हेतु वेतन मद में ₹ 110.06 लाख, मजदूरी मद में ₹ 4.50 लाख, यात्रा भत्ता मद में ₹ 10.00 लाख, कार्यालय व्यय मद में ₹ 487.42 लाख, प्रशिक्षण मद में ₹ 560.01 लाख, विज्ञापन एवं प्रचार मद में ₹ 46.60 लाख, व्यावसायिक सेवाओं हेतु व्यय मद में ₹ 72.50 लाख, सम्मेलन मद में ₹ 205.00 लाख, पारितोषित मद में ₹ 0.01 लाख, सामग्री और पूर्तियाँ मद में ₹ 90.00 लाख, कुल ₹ 1586.11 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 15,86,11,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 13

राज्य बाल संरक्षण आयोग अनुदान मद में ₹ 23.80 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 23,80,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 14

आंगनबाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के विद्युत व्यय एवं आकस्मिक व्यय मद में ₹ 150.00 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,50,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 15

बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत परियोजना कार्यालय एवं जिला कार्यालय हेतु फर्नीचर उपकरण इत्यादि हेतु ₹ 80.00 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 80,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 16

बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु फर्नीचर उपकरण इत्यादि हेतु ₹ 425.00 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,25,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 17

नोनी सुरक्षा योजनांतर्गत वैयक्तिक अनुदान मद में ₹ 2000.00 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 20,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 18 से 22

कार्य स्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम हेतु कार्यक्रम योजनांतर्गत वेतन मद में ₹ 80.00 लाख, कार्यालय व्यय मद में ₹ 32.00 लाख, प्रशिक्षण मद में ₹ 10.00 लाख, प्रकाशन मद में ₹ 3.00 लाख तथा विज्ञापन एवं प्रचार मद में ₹ 5.00 लाख इस प्रकार कुल ₹ 130.00 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,30,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मुख्य शीर्ष 2236

मद क्रमांक 23

सबला योजना के अनुरूप प्रदेश के शेष 17 जिलों में किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार दिया जाना है इस हेतु ₹ 1500.00 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 15,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 24

एकीकृत बाल विकास सेवाएं अंतर्गत प्रदायित रेडी टू ईट की लैब टेस्टिंग हेतु सहायक अनुदान मद / सामग्री आपूर्ति मद में कुल ₹ 50.00 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 50,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मुख्य शीर्ष 4235

मद क्रमांक 25

बाल विकास सेवा योजनांतर्गत आंगनबाडी भवनों के सुधार एवं निर्माण हेतु (प्रति आंगनबाडी केन्द्र ₹ 4.00 लाख के मान से) ₹ 4672.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 46,72,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 26

बाल विकास परियोजना कार्यालय हेतु ₹ 140.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,40,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

अतिरिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय हेतु ₹ 120.00 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,20,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 2

आंगनबाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के विद्युत व्यय एवं आकस्मिक व्यय मद में ₹ 36.00 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 36,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 3

बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत परियोजना कार्यालय एवं जिला कार्यालय हेतु फर्नीचर उपकरण इत्यादि हेतु ₹ 19.20 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 19,20,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 4

बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु फर्नीचर उपकरण इत्यादि हेतु ₹ 102.00 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,02,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 5

नोनी सुरक्षा योजनांतर्गत वैयक्तिक अनुदान मद में ₹ 760.00 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 7,60,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मुख्य शीर्ष 2236

मद क्रमांक 6

सबला योजना के अनुरूप प्रदेश के शेष 17 जिलों में किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार दिया जाना है इस हेतु ₹ 360.00 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,60,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मुख्य शीर्ष 4235

मद क्रमांक 7

बाल विकास सेवा योजनांतर्गत आंगनबाड़ी भवनों के सुधार एवं निर्माण हेतु (प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र ₹ 4.00 लाख के मान से) ₹ 1121.00 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 11,21,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 8

बाल विकास परियोजना कार्यालय हेतु ₹ 80.00 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 80,00,000 का प्रावधान किया गया है ।